

to pay within March 66, which the employers also agreed to. The Government threatened them with direct action if any colliery refused to pay the bonus within 31st March 1966. A little while ago the Minister said that though the management of the Babi-sole colliery refused to pay, the Government has only served a show-cause notice instead of going to the court straightway and prosecuting the employer. May I know why this mollicoddling attitude towards the employers who refuse to abide by the law of the land?

Shri Shahnawaz Khan: It is a matter of procedure. We have given a show-cause notice of 10 days only. At the end of that, we will go ahead and take action.

Mr. Speaker: The question is, the Government has definite and concrete information that this colliery-owner did not pay the bonus under the Act. So, why did they not prosecute him? Is the show-cause notice mandatory?

Shri Shahnawaz Khan: Bipartite discussions between the management and labour were going on. These have broken down. Now we have issued show-cause notice for 10 days only.

Dr. Ranen Sen: Why issue show-cause notice? Why not prosecute him straightway?

Shrimati Renu Chakravartty: March was the last date.

Mr. Speaker: He says bipartite discussions were going on and they failed. Probably the time for show-cause notice would also be over soon.

Shri Ram Sewak Yadav.

Shri Indrajit Gupta: What about reopening the colliery? Production has stopped and 600 workers are unemployed. (Interruptions).

12.55 hrs.

QUESTION OF PRIVILEGE

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) :
अध्यक्ष महोदय, मैंने घ्यानाकर्षण भी

दिया था, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय घ्यानाकर्षण नहीं, मोशन आफ प्रिविलेज के लिये मैंने आपको बुलाया है।

श्री रामसेवक यादव : उसे तो मैं अभी रख रहा हूँ। लेकिन एक सेकण्ड के लिये मेरा निवेदन सुन लें।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास 15-20 काल-एटेंशन आये थे, अगर आप को सुनूँ तो दूसरों को क्यों न सुनूँ।

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, बिहार में जनतन्त्र कसौटी पर हूँ। बिहार सरकार द्वारा दलीय हित के लिये आकाशवाणी का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहाँ पर लोगों को दबाने के लिये, गोली चलाने के लिये, वहाँ के मुख्य मंत्री कह चुके हैं... (व्यवधान)

श्री बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री यादव को बुलाया है।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, इस विशेषाधिकार से पहल काम रोकने प्रस्ताव आता है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास काम रोकने प्रस्ताव कोई नहीं है।

श्री बागड़ी : मैंने आप को काम रोकने प्रस्ताव दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह से नहीं उठा सकते हैं।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक कायदे कानून की बात रखता हूँ। मेरा काम रोकने प्रस्ताव कायदे के मुताबिक दुरुस्त है। जब हरियाणा प्रान्त के अन्दर और राजस्थान के अन्दर भुखमरी से लोग मर रहे हैं, इसके बारे में सरकारी बयान है, तब मैंने इसे आपके पास भेजा था।

अध्यक्ष महोदय : य आंकड़े आज रात में नहीं आये हैं, भुखमरी एक दिन में नहीं आई है। तीन दिन से नो कान्फीडेंस का मोशन चल रहा है, आपकी पार्टी ने भी उसमें हिस्सा लिया है। एडजार्नमेंट मोशन के स्पेसिफिक क्लेजेट्स पर आप उसमें बोलें, आपको मौका है, इसलिये मैं उनको एडमिट नहीं कर सकता था और मैंने नहीं किया। लेकिन अब आप जिस तरह से उठाना चाहते हैं, वह ठीक नहीं है।

श्री बागड़ी : मैं जरूरदस्त नहीं, इसके बारे में विधि बताता हूँ। हर काम अपने बरीके से होता है। . . .

अध्यक्ष महोदय : यह रिकार्ड में नहीं बायेगा।

श्री बागड़ी : **

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइये।

श्री बागड़ी : * *

अध्यक्ष महोदय : श्री बागड़ी नेता है एक पार्टी के, मैंने बहुत लिहाज किया है, मगर वह मुझे मजबूर कर रहे हैं कि . . .

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, . . .

अध्यक्ष महोदय : मैंने आप को जवाब भी दे दिया। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता।

श्री बागड़ी : अगर आप मुझे बर्दाश्त नहीं करना चाहते तो मत कीजिये, लेकिन नियम के अनुसार आपको मुझे सुनना होगा।

अध्यक्ष महोदय : मैंने नियम के अनुसार कह दिया। अब आप बैठ जाइये।

श्री बागड़ी : मैं जनता से चुन कर आया हूँ, आप मुझे बर्दाश्त नहीं करना चाहते . . .

अध्यक्ष महोदय : अगर आप नहीं बैठते हैं तो मैं कहूंगा कि आप बाहर चले जायें।

श्री बागड़ी : क्या चला जाऊँ। आप मुझे बर्दाश्त नहीं करना चाहते और इतने आदमी . . . जेल के अन्दर हैं . . .

अध्यक्ष महोदय : क्या अब आप बाहर नहीं जाते।

श्री बागड़ी : मैं जनता से चुन कर . . .

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य बाहर नहीं जाते। . . . मैं अपोजीशन के मेम्बरों से कहूंगा कि अगर वह कोई तरीका तलाश कर सकते हैं तो करें।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मुझे मजबूर कर रहे हैं इसलिये मुझे नामजद करना पड़ रहा है। मैं श्री बागड़ी को नामजद करके पुकारता हूँ कि वह इस हाउस की कार्रवाई में रुकावट डाल रहे हैं।

13 hrs.

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Satya Narayan Sinha): Mr. Speaker, Sir, I move:

“that Shri Bagri, a Member of the House, named by the Speaker, be suspended from the service of the House for a fortnight.”

Mr. Speaker: The proposal is

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, वह जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ मैं कहता हूँ, उसको वह सुन नहीं रहे हैं।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : छोड़ दीजिये, वह अपने कागज लेकर जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं जा रहे हैं।

श्री बागड़ी : आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं।

Mr. Speaker: The question is:

“That Shri Bagri, a Member of the House, named by the Spea-

ker be suspended from the service of the House for a fortnight."

The 'Ayes' have it.

Some hon. Members: The 'Noes' have it.

Mr. Speaker: Let the Lobbies be cleared.

The question is:

"That Shri Bagri, a Member of the House, named by the Speaker, be suspended from the service of the House for a fortnight."

The Lok Sabha divided:

Division No. 5]

AYES

[13.03 hrs.

Abdul Wahid, Shri T.	Khan, Shri Shah Nawaz	Rao, Shri Krishnamoorthy
Achal Singh, Shri	Khanna, Shri Mehr Chand	Rao, Shri Muthyal
Akkamma Devi, Shrimati	Kindar Lal, Shri	Rao, Shri Ramapathi
Alva, Shri Joachim	Ko'oki, Shri Liladhar	Rao, Shri Thirumala
Anjanappa, Shri	Krishna, Shri M. R.	Rattan Lal, Shri
Arunachalam, Shri	Kureel, Shri B. N.	Ray, Shrimati Renuka
Azad, Shri Bhagwat Jha	Laxmi Bai, Shrimati	Reddy, Dr. B. Gopala
Balakrishnan, Shri	Mahadeva Prasad, Dr.	Reddiar, Shri
Balmiki, Shri	Malaichami, Shri	Reddy, Shri Linga
Basappa, Shri	Mandal, Dr. P.	Reddy, Shri Narayan
Basumatari, Shri	Mandal, Shri J.	Roy, Shri Bishwanath
Baswant, Shri	Maniyangadan, Shri	Saha, Dr. S. K.
Bhagat, Shri B. R.	Mantri, Shri D. D.	Sahu, Shri Rameshwar
Bhagavati, Shri	Mathur, Shri Shiv Charan	Saigal, Shri A. S.
Bhakt Darshan, Shri	Mehrotra, Shri Braj Bihari	Samanta, Shri S. C.
Bhatkar, Shri	Mehta, Shri J.R.	Saraf, Shri Sham Lal
Bhattacharyya, Shri C. K.	Mehta, Shri Jashvant	Satyabhama Devi, Shrimati
Bist, Shri J. B. S.	Mengi, Shri Gopal Datt	Sen, Shri P. G.
Boroah, Shri P. C.	Mishra, Shri Bibhuti	Shakuntala Devi, Shrimati
Chandak, Shri	Misra, Shri Bibudhendra	Sharma, Shri D. C.
Chaturvedi, Shri S. N.	Mohanty, Shri Gokulananda	Sharma, Shri K. C.
Chaudhury, Shri Chandramani Lal	Morarka, Shri	Sheo Narain, Shri
Bhaudhuri, Shri Sachindra	Mukerjee, Shrimati Sharda	Shinde, Shri
Chavan, Shri D. R.	Munzini, Shri David	Shree Narayan Das, Shri
Chavan, Shri Y. B.	Murti, Shri M. S.	Shukla, Shri Vidya Charan
Chavda, Shrimati Jorabai	Muthiah, Shri	Siddananappa, Shri
Daljit Singh, Shri	Nanda, Shri	Siddiah, Shri
Dandekar, Shri N.	Nayar, Dr. Sushila	Sidheswar Prasad, Shri
Das, Shri N. T.	Oza, Shri	Singh, Dr. B. N.
Dhuleshwar Meena, Shri	Pandey, Shri R. S.	Singh, Shri D. N.
Dinesh Singh, Shri	Pant, Shri K. C.	Singh, Shri K. K.
Dorai, Shri Kasinatha	Patil, Shri D. S.	Shinga, Shri G. K.
Dubey, Shri R. G.	Patil, Shri M. B.	Sinha, Shrimati Ramdulari
Dwivedi, Shri M. L.	Patil, Shri S. B.	Sinha, Shri Satya Narayan
Ering, Shri D	Patil, Shri V. T.	Sinha Singh, Shri
Ghosh, Shri Atulya	Patnaik, Shri B. C.	Snatak, Shri Nardev
Gupta, Shri Badshah	Pattabhi Raman, Shri C. R.	Sonavane, Shri
Hansda, Shri Subodh	Prabhakar, Shri Naval	Subbaraman, Shri
Harvani, Shri Ansar	Rai, Shrimati Sahodra Bai	Subramaniam, Shri C.
Hazarika, Shri J. N.	Rajdeo Singh, Shri	Subramanyam, Shri T.
Heda, Shri	Raju, Dr. D.S.	Sumat Prasad, Shri
Jadhav, Shri M. L.	Ram Sewak, Shri	Surendra Pal Singh, Shri
Jadhav, Shri Tulshidas	Ram Swarup, Shri	Swamy, Shri M. P.
Jamir, Shri S. C.	Ramakrishnan, Shri P. R.	Tahit, Shri Mohammad
Jamunadevi, Shrimati	Ramaswamy, Shri V.K.	Thengal, Shri Nallakoya
Jedhe, Shri	Rampure, Shri	Thevar, Shri V. V.
Jha, Shri Yogendra	Rane, Shri	Thomas, Shri A. M.
Joishi, Shrimati Sushidra	Ranga Rao, Shri	Tyagi, Shri
Jyotibai, Shri J. C.	Ranjit Singh, Shri	Uikey, Shri
Kappen, Shri	Rao, Shri Jaganatha	Upadhyaya, Shri Shiva Dutt
Khadilkar Shri	Rao, Dr. K.L	

Valvi, Shri
Varma, Shri Ravindra
Verma, Shri Balgovind

Verma, Shri K. K.
Virbhadra Singh, Shri
Wadiwa, Shri

Yadab, Shri N. P.
Yadava, Shri B. P.

NOES

Ram Singh, Shri

Soy, Shri H. C.

Swamy, Shri M. N.

Mr. Speaker: The result of the division is: Ayes—160; Noes—3.

The motion was adopted.

Mr. Speaker: Now I will ask Shri Bagri to go out; he has been suspended by the House for a fortnight.

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक निवेदन सदन के सामने करूँगा . . .

अध्यक्ष महोदय : यह रेकार्ड नहीं किया जायगा ।

श्री बागड़ी : **

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है। मेरा निवेदन सुन लें।

अध्यक्ष महोदय : स्वामी जी जो कुछ मैंने नामंजूर कर दिया है उसे नहीं सुनूँगा।

श्री रामेश्वरानन्द : आप ने नामंजूर कर दिया है लेकिन मेरा निवेदन तो सुन लें।

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नहीं सुनूँगा। अब आप बैठ जाइये।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं बैठ जाता हूँ, लेकिन मेरी बात तो आप सुन लीजिये।

अध्यक्ष महोदय : अब आप मुझे आगे चलने दीजिये।

श्री रामेश्वरानन्द : आप चलते रहिये मैं मना नहीं करता। आपके कहने से मैं बैठ भी जाता हूँ। आप निकलने को कहेंगे तो निकल भी जाऊँगा। लेकिन मेरी बात आप

सुन लीजिये। सैकड़ों साधु गोवध के विरोध में अनशन कर रहे हैं और धरना दे रहे हैं। उन साधुओं को जेल भेज दिया गया है। उनके कपड़े काड़ दिये गये हैं, उन्हें पीटा भी गया है . . .

अध्यक्ष महोदय : यह रेकार्ड नहीं किया जायेगा।

श्री रामेश्वरानन्द : * *

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं 12 जुलाई को बाराबंकी में पकड़ा गया था और उस समय मेरे साथ जो दुर्योधन हथियार उसके वारे में मैंने आप को जेल से सूचना दी। मैं आपका इस बात के लिये आभार भी मानता हूँ कि आप ने इस वारे में कुछ जांच कराई और जानकारी भी लेने की कोशिश की।

मैं इस सदन के सामने दुःख से कहना चाहता हूँ क्योंकि अभी कुछ दिन पहले नन्दा जी ने कई लोगों के बीच में एक कोड आफ कंडक्ट बनाया जिसमें बतलाया गया था कि लोक सभा के सदस्यों और विधान सभाओं के सदस्यों के साथ अधिकारियों का क्या व्यवहार होगा। उस पर काफी चर्चा चली और अखबारों में भी छपा। कुछ डाइरेक्शन भी दिये गये। मैं निवेदन करूँ कि उस दारोगा को मैं पहचानता नहीं था। उसने मेरा गेरेबान पकड़ा। नीचे की बनियान फटी बेंत मारे जिसके अभी भी निशान हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने उनको देखा है। यहाँ तक हुआ कि मुझे गाली भी दी। आप इसमें क्या कर सकते हैं यह आप जानें। आप ने जो सूचना मांगी थी उसका जो उत्तर आया है

मुझे आपके कार्यालय से सूचना मिली है जिलाधीश कहते हैं कि हां उन्हें चोटें आई हैं लेकिन किसी ने अभद्र व्यवहार नहीं किया। जबकि मैंने शिकायत में नाम नहीं लिया था क्योंकि उस समय मुझे उस दारोगा का नाम मालूम नहीं था। मैं मूरत से पहचानता था। मुझ से आज तक कोई जानकारी नहीं ली गई। लेकिन आपके यहां प्रतिवेदन आया था कि कोई इस तरह की घटना नहीं घटी। इस पर क्या आप करेंगे और क्या सदन करेगा यह मैं उस पर छोड़ता हूं। जो विशेषाधिकार का प्रश्न है वह मैं सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं।

जब मैं पकड़ा गया तब शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। कहीं को किसी तरह की अशान्ति नहीं थी। उस शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठी-चाज हुआ। मुझे पकड़ा गया और बिना किसी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किये हुए जेल में ले जाया गया। मैंने जानकारी भी चाही कि आखिर क्या जर्म है और किस दफा में मैं पकड़ा गया हूं। लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। बाद में उसी दिन यानी 12 तारीख को जेल अधिकारियों ने बतलाया कि भारतीय दंड संहिता की धाराओं 332, 426 और 147 तथा रेलवे ऐक्ट की धारा 122 के मातहत मुझे गिरफ्तार किया गया है और उसके वारंट आये हैं। आपको उसी दिन अधिकारियों ने सूचना दी जो कि 13 तारीख को यहां पहुंची जैसा कि जो बुलेटिन यहां से निकलती है 15 तारीख की उस बुलेटिन से मालूम हुआ जिसका आशय यह था कि धारा 188 और 144 तोड़ने के कारण मुझे पकड़ा गया। अब आप देखिये कि हम को पकड़ा गया 12 तारीख को उन दफाओं में और आपके द्वारा इस सदन को सूचना दी जाती है धारा 188 की। एक तो यह गलत सूचना आप को दी गई क्योंकि मुझे 188 दफा का वारंट जेल में मिला है जैसा कि मुझे 16 तारीख को जेल के अधिकारियों से मालूम हुआ। वारंट 15 तारीख

को मिला और उस पर 14 तारीख के ए० डी० एम० (जुडिशल) के दस्तबत थे। जिस समय 12 तारीख को मुझे पकड़ा गया उस समय दफा 144 के बारे में जो 188 का जर्म बनता है उसकी न कोई शिकायत थी न वारंट था और न उस दफा में मैं जेल गया। आप ने जो रिपोर्ट मंगाई उसमें उन लोगों ने इन बातों का कोई उत्तर नहीं दिया कि मैं उस दिन 188 में पकड़ा गया या नहीं। उसका उत्तर उन्होंने यह दिया है :

"These persons have been prosecuted under section 188 IPC."

"have been prosecuted."

इस सन्दर्भ में जो प्रश्न उठ रहा है उसमें इसका कोई मतलब ही नहीं है। धारा 332, 426, 147 और रेलवे ऐक्ट की धारा 122 की तहत मुझ को गिरफ्तार किया गया या हम पर कोई मुकदमा है, इसकी भी सूचना आज तक इस सदन को नहीं है। मैं आप से आग्रह करूंगा, मैं आप से निवेदन करूंगा कि जब हम लोगों को छोड़ा गया तो हम से दो जमानतें ली गईं, 188 के मुकदमे में और 332, 426 और 147 में। यह सारा जो रिकार्ड है यह जेल में मौजूद है। यह सारी घांघली चलती है। मैं नहीं कहना चाहता हूं कि ये दो मुकदमे किस तरह से आये, यह गलत इत्तिला क्यों दी गई? इस तरह से मुकदमे अग्र्यक्ष महोदय, बनाये जाते हैं। मैजिस्ट्रेट के सामने पेश न किया जाना तो मामूली घटनायें हैं। राजनीतिक मामलों में गलत सूचनायें दी जाती हैं और दूसरे जो तथ्य हैं उनको भी छिपाया जाता है। और जो मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ मैंने उसके आपके सामने रख दिया है। ये ऐसे तथ्य हैं जिनसे कि साफ साफ विशेषाधिकार भंग का मामला बनता है। इसमें विशेषाधिकार की अवहेलना इस सदन की भी होती है और इस सदन के एक सदस्य की भी होती है। जो रिपोर्ट आई है उस पर अग्रर विशेष ध्यान दिया जायेगा और जो मैंने वस्तुस्थिति आपके

[श्री रामसेवक यादव]

सामने प्रस्तुत की है उस पर ध्यान दिया जायेगा तो आप इसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि यह एक ऐसा मामला है कि जो विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिये। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इन तरह की जादतियाँ चलती रहेंगी और तब न इस सदन का और न इस सदन के सदस्यों का कोई मर्यादा बच रहेगी और न ही उनके अधिकारों की रक्षा हो सकेगी। इसकी कोई इज्जत नहीं रह जायेगी। जिस दारोगा का मैंने जिक्र किया है वह कहता फिरता है कि मैंने मारा है, मैंने गाली दी है लेकिन वहाँ के जो अधिकारी हैं वे कहते हैं कि नहीं, कुछ ऐसा नहीं हुआ है। यह है वस्तुस्थिति।

इन शब्दों के साथ मैं आपके जरिये निवेदन करूँगा कि यह मामला ऐसा है कि जिसे विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाना चाहिये।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, . . .

अध्यक्ष महोदय : और कोई बहस की इजाजत नहीं दी जा सकती है।

श्री मधु लिमये : बाकायदा प्रस्ताव कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने तो पेश कर दिया है।

श्री मधु लिमये : मेरा प्रस्ताव दूसरा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो अर्ज करूँ।

आप ने कई बार यहाँ निर्णय दिया है कि सदस्यों की गिरफ्तारी के बारे में सही इत्तिला तत्काल मिलनी चाहिये। आप ने यह भी कहा है कि वह सही भी हो और तत्काल भी आ जानी चाहिये। इयमें दो जुर्म हो गये। एक तो सत्य को छिपाया गया है। जिन धाराओं के अन्तर्गत इनको गिरफ्तार किया गया था उन धाराओं का आज तक आपको

फता नहीं, उसके बारे में आपको इत्तिला नहीं दी गई है। यह सत्य को छिपाने की बात हो गई।

दूसरी बात यह है कि जिम धारा के मातहत इनको गिरफ्तार नहीं किया गया था उस धारा की इत्तिला आप को दे दी गई। यह हो गया असत्य का संकेत। अंग्रेजी में कहा जाये तो कहा जायेगा सपरसियो वेरी और सजैस्टियो फाल्सी। ये दो जुर्म हों गये। इसलिए मेरा बाकायदा प्रस्ताव है कि इस मामले को प्रिविलेजिज कमेटी के सामने रखा जाये।

श्री बड़े : (खारगोन) : मेरी भी एक विनती है . . .

अध्यक्ष महोदय : अब इसका अन्त होना चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जा (कानपुर) : दो मिनट।

यादव जी ने कहा है कि उनके बारे में आपको जो सूचना दी गई थी वह दफा 144 और 188 दी गई थी और उसके बाद दूसरी दफायें उन पर लगाई गईं। कई धाराओं का उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने 332 का हवाला दिया है जो पुलिस के साथ मजहमत के बारे में है। यह तो आज यादव जी का मामला है जोकि पार्लिमेंट के मेम्बर हैं। उनका यह मामला प्रिविलेजिज कमेटी के सामने पेश भी हो सकता है और होना भी चाहिये। मैं चाहता हूँ कि इसको उसे सौंप दिया जाये। इसके अलावा मैंने गृह मंत्री जी को कहा था, उनसे निवेदन किया था और आज फिर करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश बन्द के सिलसिले में इसी तरीके से हज़ारों धाराओं ऐसे लगाई गई हैं . . .

अध्यक्ष महोदय : अब मौका नहीं है। वह सारा सवाल यहाँ नहीं उठ सकता है।

श्री स० मो० बनर्जी : इस मामले को तो प्रिविलेजिज कमेटी को सौंप दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : बाकी मामलों को मैं कैसे ले लूँ ।

श्री स० मो० बनर्जी : आप कमेटी बिठा दें । बाद में यह कमेटी उत्तर प्रदेश भी भेजी जायेगी और वहाँ यह इन चीजों की जांच करे ।

अध्यक्ष महोदय : श्री बड़े :

श्री बड़े : मेरा निवेदन यह है कि जब कोई मम्बर पार्लियमेंट का गिरफ्तार होता है तो जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है या जो पुलिस का अफसर होना है वह यह समझता है कि इतना देना है और दे देता है, लेकिन सैक्सन भी नहीं बताता है और उस इतिला को को वह सौरियसली भी नहीं लेता है । कई बार सैक्सन भी गलत बताये जाते हैं । इस मामले को आप देखें । सोलह तारीख को तो अरेस्ट वारेंट यादव जी को मिला और तेरह तारीख को आपको इतिला दे दी गई । 188 के तहत तो इनको अरेस्ट किया और बाकी धारारों बाद में लगा दी गई और इसके बारे में कोई इतिला भी नहीं दी गई । जो अधिकांश हैं वे आपकी आयोगरीटी को और हाउस को आयोगरीटी को फ्लाउट करते हैं । मैं चाहता हूँ कि इसका सौरियस नोट लिया जाये और सब्त कार्रवाई की जाये ।

Shri Hari Vishnu Kamath (Hosangabad): Permit me, Sir, to invite your attention to rule 229. After hearing the statement of my hon. friend, Shri Ram Sewak Yadav I think there has been a clear violation of that rule. You will recollect that in an earlier case in this House when my hon. friend, Shri Kachhavaia was alleged to have been ill-treated in jail, you proposed to make an inquiry into the matter. On the facts, as stated by my hon. friend, Shri Ram Sewak Yadav, the matter is clearly actionable and, therefore, an inquiry should be made in respect of the violation of rule 229 and also into the

allegation of ill-treatment that has been made in the House by Shri Ram Sewak Yadav.

Shrimati Renu Chakravartty (Barackpore): Sir you have read to us a report which has been sent to you by the police but the fact is, an hon. Member of this House alleges himself, that he has been beaten up in the lock-up. The police has attacked him in this way and abused him also. If any part of this is true, I feel that you should not depend on the police report; you should yourself undertake some independent impartial inquiry because this is the type of thing that happens even inside jail; people are beaten up. If Members of Parliament are beaten up inside jails, how much worse will it be for the ordinary people? Therefore, if we can stop this, the other rot will also stop.

श्री काशीराम गुप्त (अलवर) : अध्यक्ष महोदय एक मिनट में मेरी बात भी सुन लें । यदि किसी सदस्य के चोट अभी भी लगी हो और वह आपके सामने कहना भी है तो क्या आप पुलिस की बात को मानेंगे या उस सदस्य की बात को मानेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : जहाँ तक मेरा ताल्लुक है मैं तो जो माननीय सदस्य कहता है उस पर यकीन करूँगा, उसकी बात को मानूँगा । लेकिन सवाल देखने वाला यह है कि माननीय सदस्य की बात को मान कर मैं उनके खिलाफ एकशन कैसे ले सकता हूँ ? अगर हमें इस तरह से कुछ प्रिविलेज हासिल हैं तो उसका मतलब यह नहीं है कि उन से नये क्रियेट हो जाते हैं । नये क्रिएट नहीं हम कर सकते हैं । अगर किसी मॅम्बर के साथ किसी जगह या जेल में कहीं ज्यादाती होती है तो हम कंसन्ड तो फील करते हैं और जो चाहें हम करें और मिनिसटर को भी कहते हैं कि वह एकशन लें लेकिन हम उस में नये कोई प्रिविलेज क्रियेट नहीं कर

[अध्यक्ष महोदय]

सकते हैं सिवाय उनके जोकि अर्डिनरी सिटिजन को प्राप्त हैं। और कोई हमें हकक पैदा नहीं हो जाते हैं। बाकी सवाल सिर्फ दो बातों का रहा जाता है। जो मैजिस्ट्रेट या जज या जो भी हों और जिन्होंने गिरफ्तार किया हो उन को चाहिये था कि वे फौरन इत्तला देते और दूसरे जिस जूम में

श्री हरि विष्णु कामत : सही भी ।

अध्यक्ष महोदय : हां सही दें। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या जो इन्जाम लगाया गया है कि एक तो फौरन इत्तला नहीं दी गई और दूसरे सही नहीं दी गई इसके बारे में गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है ?

The Minister of Law (Shri G. S. Pathak): Sir, the question is whether rule 229 has been violated; that is to say, whether intimation of the arrest, indicating the reasons for the arrest, was given to this House. Now, Sir, it is correct that it is necessary that there should be a warrant if a police officer has to arrest a person for an offence under section 188. But, I am informed that the magistrate was also present at the time of the arrest and the law is that where a magistrate who could issue the warrant is present then the arrest would validly take place. That is under sections 64 and 65 of the Criminal Procedure Code.

An. hon. Member: It is irrelevant.

Mr. Speaker: Order; order. Let him have his say. Hon. Members should not get impatient

Shri G. S. Pathak: May I read sections 64 and 65?

"When an offence is committed in the presence of a magistrate within the local limits of his jurisdiction."

Mr. Speaker: I would like to know only one thing. The intimation given to me is that the Member has been arrested under section 188. Has he been arrested under other sections also?

Shri G. S. Pathak: I will give that information at once, before I deal with that question. It was discovered that he had committed offences under other sections also. Then, what happened was that the police submitted the case under those sections and the warrant was issued, under those sections by the Magistrate himself.

Then, the question is whether another intimation should have been sent to this House.

Mr. Speaker: The point is whether this is compliance of rule 229 and the Third Schedule appended to the rule, in the form that is given whether that has been complied sufficiently.

Shri G. S. Pathak: There are two questions, as I have stated. The first question is whether there was any inaccuracy in the statement of the reasons which were given to this House when intimation was given that arrest has taken place. I will deal with this question first. The law is that in case an offence is committed before a magistrate, a person can be arrested without issue of warrant. In that case it will be quite correct to say that the gentleman concerned was arrested under section 188. Therefore there will be no inaccuracy or illegality attending this arrest and the intimation which was sent to this House giving the reasons was correct.

As regards the other question, it is correct that no separate intimation was sent to this House. The question is, when he was arrested once.

Mr. Speaker: When the police arrested, it was a criminal charge; when the magistrate ordered, that

was a criminal offence. Both, whether it is a criminal charge or a criminal offence, are included in rule 229

Shri G. S. Pathak: The question then is when a person. . . .

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, यह मामला विशेषाधिकारी समिति के पास भेज दीजिये। वह इन को सुनेगी।

अध्यक्ष महोदय: आप मुझे सुनने दीजिए।

श्री मधु लिमये : वह कितना समय लेंगे ? सीधो बातें तो दो हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये और मुझे सुनने दीजिए।

Shri G. S. Pathak: Now, the question is whether intimation should have been sent to this House again by the magistrate who issued the warrant when the case was started. The officers there felt—I am speaking on information—that once an arrest had been made under section 188—that was a valid arrest—and an intimation had been given to this House, that it was not further necessary to intimate to this House that a warrant had been issued by the court under other sections. There was one arrest in this case. That is my information . . . (*Interruption*).

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur): When he was arrested and sent to jail, where was the necessity of issuing another warrant? A warrant is issued when the person is not in jail. When a man is in jail how can the question of issuing another warrant come? He should make himself clear. . . . (*Interruption*).

Mr. Speaker: I will crave of hon. Members just to allow me to understand the case. I should understand what the Government case is.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, आप हम को तो कमी इतना समय नहीं देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इन को बक्त नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैं समझना चाहता हूँ। आप मुझे समझने दीजिए।

Shri G. S. Pathak: You know, Sir, that when an arrest had been made. . .

Mr. Speaker: Is it the plea of the hon. Law Minister that once a Member has been arrested and an intimation has been given to this House or to the Speaker that such-and-such Member has been arrested, if he is charged with other criminal offences, no intimation is to be sent to the Speaker? Is this the position?

An. hon. Member: No, Sir.

Shri G. S. Pathak: There is no precedent for such a case. What happened in this case is that the arrest took place under section 188, the warrant itself was issued under that section two days after the 12th, but when it was discovered that other offences had also been committed and the matter went to court, the magistrate issued a warrant again under those sections. There is no precedent so far as I am aware. It is a highly technical matter, namely that there is a person. . . . (*Interruption*).

Mr. Speaker: Order, order. If the hon. Minister is of opinion that there is no precedent and that it is highly technical, I will refer it to the Committee to just examine it.

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : श्रीमन्, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि यह प्रश्न, जिस में संसद के सम्मान का प्रश्न है, माननीय गृह मंत्री से ताल्लूक रखता है या यह माननीय विधि मंत्री से ताल्लूक रखता है। यह झूठी तो होम मिनिस्टर की है कि वह संसद और इस के मदम्यों के सम्मान की रक्षा करें, क्योंकि भारत सरकार की रक्षा करना उन की जिम्मेदारी है। वह बिल्कुल ऐसे अलग बैठे है, जैसे हम कोई एक्स, वाई, जेड हैं और जैसे

[श्री यशपाल सिंह]

हमारी कोई पोजीशन ही न हो। गृह मंत्री जी इस बात की साफ घोषणा करें कि उन के पास क्या संरक्षण है कि माननीय सदस्यों के आत्म-सम्मान की रक्षा हो।

श्री हुकम चन्द कछवाय : अगर आप अनुमति दें तो मैं एक बात जानना चाहता हूँ।

13.27 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

STATEMENT CORRECTING ANSWER TO S.Q. NO. 97 RE. FOURTH FIVE YEAR PLAN

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri L. N. Mishra): Sir, on behalf of Shri Asoka Mehta, I beg to lay on the Table a statement correcting the answer to Starred Question No. 97 dated the 28th July, 1966 by Shri Era Sezhayan and others regarding 'Fourth Five Year Plan'. [Placed in Library. See No. LT-6649/66].

NOTIFICATIONS UNDER CUSTOMS ACT, 1962 AND CENTRAL EXCISE AND SALT ACT, 1944

Shri L. N. Mishra: Sir, on behalf of Shri Bali Ram Bhagat, I beg to lay on the Table:—

(1) A copy each of the following Notifications under section 159 of the Customs Act, 1962 and section 38 of the Central Excises and Salt Act, 1944:—

- (i) The Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Fiftyninth Amendment Rules, 1966 published in Notification No. G.S.R. 1150 in Gazette of India dated the 23rd July, 1966.
- (ii) The Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Sixtieth Amendment Rules 1966, pub-

lished in Notification No. G.S.R. 1151 in Gazette of India dated the 23rd July, 1966. [Placed in Library. See No. LT- 6650/66].

(2) A copy of Notification No. G.S.R. 1152 published in Gazette of India dated the 23rd July, 1966, under section 159 of the Customs Act, 1962. [Placed in Library. See No. LT-6651/66].

(3) (i) A copy of the Post Office Savings Certificates (Amendment) Rules, 1966, published in Notification No. G.S.R. 633 in Gazette of India dated the 30th April, 1966, under sub-section (3) of section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959.

(ii) A statement showing reasons for delay in laying the above Notification. [Placed in Library. See No. LT-6652/].

NOTIFICATION UNDER KERALA ELECTRICITY DUTY ACT, 1963

The Minister of State in the Ministry of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): I beg to lay on the Table a copy of Notification S.R.O. No. 220/66 published in Kerala Gazette dated the 7th June, 1966, under sub-section (4) of section 13 of the Kerala Electricity Duty Act, 1963, read with clause (c) (iv) of the Proclamation dated the 24th March, 1965, issued by the Vice-President, discharging the functions of the President, in relation to the State of Kerala. [Placed in Library. See No. LT-6653/66].

NOTIFICATIONS UNDER KERALA LAND REFORMS ACT, 1963, ETC.

Shri L. N. Mishra: Sir, I beg to lay on the Table:—

(1) A copy each of the following Notifications making certain